प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 106/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार पालीवाल निवासीः एफ–31, पोलोग्राउण्ड, उदयपुर (राज0)

...............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 03/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27.07.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि मेंसूचना उपलब्ध कराये जाने से संतुष्ट नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/106/23/1242–43 दिनांक 05.09.2023 से लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किये गये।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/106/2023/1037–38 दिनांक 22.09.2023 से अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2023 से संबंधित सूचना संबंधित अनुभागों से प्राप्त कर अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को अवगत करवाया।

अपीलार्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में निवेदन किया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आधी अधूरी सूचना ही दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर जरिये पत्रांक 1037–38 दिनांक 22.09.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को प्रेषित की गई। अपीलार्थी द्वारा

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अपनी अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसे नियमित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है और अपने जवाब दिनांक 03.10.2023 में निवेदन किया गया है कि जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह अपूर्ण है एवं प्रमाणित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 1037–38 दिनांक 22.09.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जो सूचना प्रेषित की गई है वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार सील मोहर लगाकर प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का कथन कि सूचना प्रमाणित नहीं है, अस्वीकरणीय है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है फिर भी यदि अपीलार्थी को लगता है कि उसे पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो वह लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर निर्धारित कार्यदिवस में चाही गई वांछित सूचना का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आपके कार्यालय में संपर्क करता है तो उसे नियमानुसार रिकार्ड का अवलोकन करा वांछित सूचना उपलब्ध कराये। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का नियमित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर